1377

गया नगर निगम, गया

पत्रांक 1215/स०

प्रेषक,

नगर आयुक्त
गया नगर निगम, गया।

सेवा में,

महालेखाकार
बिहार, पटना।

गया, दिनांक 08 वीं अगस्त, 2014

विषयः अंकेक्षण संख्या 451/2012–13 अंकेक्षण वर्ष 2011–12 के आपत्तियों के निराकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक महालेखाकार कार्यालय का पत्रांक एल0ए0/ एस0एस0–1 / श0स्था0नि0/14350/1241 दिनांक 14.06.2013 के द्वारा गया नगर निगम का वर्ष 2011–12 के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 451/2012–13 के आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रतिवेदन तैयार कर इस पत्र के साथ भेजा जा रहा है।

अनुरोध है कि प्रतिवेदन के आलोक में अंकेक्षण संख्या 451/2012–13 के आपत्तियों के कंडिकाओं को निरस्त करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथाउपर्युक्त।

विश्वासभाजन

9/8/14

नगर आयुक्त
गया नगर निगम, गया

1218

117
12/8/14

गया नगर निगम, गया

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 451/2012-13 का अंकेक्षण आपतियों का निराकरण :-

अंकेक्षण वर्ष 2011-12

क्र0	अंकेक्षण आपति संख्या	आपत्ति का विवरण	कार्यालय का निराकरण संबंधित प्रतिवेदन	अभियुक्ति
01	01	प्रस्तावना	No Comment	
02	02	प्रशासन	No Comment	
03	03	लेखा परीक्षा का परिसीमा	Noted	
04	04	आन्तरिक लेखा परीक्षा	नगर आयुक्त एवं अपर नगर आयुक्त सह वित्त एवं लेखा नियंत्रक एवं सशक्त स्थायी समिति के द्वारा समय-समय पर लेखा की जांच की जाती है।	
05	05	पूर्ववती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	Noted	
06	06 क.	वितीय अधिदृश्य	6 - क. Noted	
	06 ख.	बैंक खाता का अवशेष (31.3.12)	6 - ख. - समाधान विवरण तैयार किया जा रहा है अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।	
07	07	महत्वपुर्ण अकेक्षण उपलब्धियां	Noted	
08	08	बजट - प्राक्कलन	Noted	
09	09	टनुदान की स्थिति	अनुदान पंजी का संधारण कर अंकेक्षण दल को दिखाया गया है साथ ही सभी योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है।	
10	10	नागरिक सुविधा (घाट, तालाब के सौन्द्रयीकरण की राशि 273.56 लाख का अवरोधन)	नागरिक सुविधा मद में वर्ष 2009-10 में प्राप्त कुल राशि मो0 2,78,91,570.00 से विभिन्न घाटों एवं तालाबों के निर्माण का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई।	

			तदोपरान्त कार्य कर करने हेतु निविदा निकाली गई। निविदा में संवेदकों के चयन के उपरान्त कार्यान्वयन के पुर्व जिला पदाधिकारी द्वारा योजनाओं को समीक्षा के क्रम में योजनाओं के कार्यान्वयन पर यह कहते हुये रोक लगा दिया गया कि गया शहर के लिये सौन्दर्यकरण का समेकित योजना तैयार किया जाय न कि अलग-अलग विभाग द्वारा अपने आवश्यकतानुसार कार्य कराया जाय। इसी समय वेबको- कलकत्ता द्वारा इस संदर्भ में डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा था जिस कारण योजनाओं को स्थगित कर दिया गया। जिसके कारण निविदा भी रद्द करना पड़ा।	
11	11	कर संग्रहकर्ता की राशि का प्रविष्टि पी0एल0 खाते में नही पाया जाना (रू0 5.28 लाख)	Noted	
12	12	संचार (मोबाइल) टावरों का अपंजीकृत रहना एवं 65,88,000.00 शुल्क बकाया रहना।	मोबाइल टावरों का शुल्क वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया गया है मोबाईल टावर कम्पनी के द्वारा राशि की वसूली भी हो रही है।	
13	13	गृहकर में विलम्ब शुल्क की कम/नहीं वसूली (0.34 लाख)	विलम्ब शुल्क की कम वसूली के संबंध में कहना है कि कर संग्रहकर्ता के द्वारा कटौति की गई राशि की छाया प्रति अंकेक्षक दल को जांच हेतु दिखाया गया था। जांच के क्रम में नगर विकास विभाग के ज्ञापांक 938 दि0 25.02.10 के आलोक में ही विलम्ब शुल्क राशि की कटौति की गई थी। कम विलम्ब शुल्क की राशि कर संग्रहकर्ता द्वारा कम नही काटी गई है। अतः वसूलनीय योग नही है।	

1374

14	14	बकाया कर (528.04 लाख)	बकाया राशि वसूली हेतु ठोस कदम उठाया जा रहा है। बकाया राशि की वसूली भी रही है।	
15	15	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं (65.20 लाख)	इस संबंध में कहना है कि गया नगर निगम के द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित कार्यो का निपटारा गया नगर निगम के द्वारा किया जाता है। सरकार के द्वारा इस मद मे कोई राशि उपलब्ध नही कराई जाती है। गया नगर निगम की वित्तीय स्थति सृदृढ़ नहीं रहने के कारण सरकार कोष में वर्णित राशि जमा नही हो पाया है। निगम की आर्थिक स्थिति सृदृढ़ होने पर राशि हस्ताणतंरण कर दी जायगी।	
16	16	बकाया दुकान का किराया (36.89 लाख)	बकाया दुकान किराया वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। राशि की वसूली भी हो रही है। इनके द्वारा जमा किये गये राशि से समायोजन की कार्रवाई की जा रही है।	
17	17	सैरातों की बन्दोबस्ती		
	17. i	बन्दोबस्ती न कर विभागीय वसूली की जाने से राजस्व हानि (3.41 लाख)	निगम के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया है प्रचार एवं प्रसार भी करवाया गया है निगम बोर्ड की बैठक भी रखा गया है। विभागीय वसूली का निर्णय लिया गया था। तदुनसार विभागीय वसूलीकर्ता द्वारा जो भी राशि वसूली हुई उस राशि को निगम कोष में जमा किया गया है। समय-समय पर सशक्त स्थायी समिति की बैठक में कम वसूली कि सूचना दी गई परन्तु कोई भी इन सैरात को लेने के लिये तैयार नही थे। इस कारण से विभागीय वसूली करवाना था।	
	17.ii	सुरक्षित राशि से कम राशि पर	सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के आलोक में ही	

		बन्दोबस्ती करने से राजस्व हानि (1. 61 लाख)	बन्दोबस्ती की गई है। कई वर्षो से पशु मेला मे बाहर के व्यापारियों के नहीं आने के कारण कोई भी इन सैरात को लेने के लिये उपस्थित नहीं हो पा रहा था। इसी कारण से सशक्त स्थायी समिति के द्वारा 50 प्रतिशत पर सैरात बंदोबस्त को स्वीकृति दि गई है।	
	17.iii	बन्दोबस्ती राशि कम जमा (2.08 लाख)	वसूली कर ली गई है जिसे अगले अंकेक्षक दल को दिखा दिया जायेगा।	
	17.iv	एकरारनामा एवं परवाना लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत	अभिलेखों का रख-रखाव एवं संधारण हेतु मार्केट शाखा के प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिया गया है।	
18	18	निगम क्षेत्र होल्डिंग सैरात की बन्दोबस्ती राशि बकाया एवं सरकारी राजस्व की हानि (05 लाख)	क. होल्डिंग सैरात की राशि की वसूली कर ली गई है और राशि निगम कोष में जमा है। ख. बंदोबस्ती हेतु 3 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लेकर समन्यवन किया गया है। ग. No Comment	
19	19	निरस्त	No Comment	
20	20	रिक्शा लाईसेंस की राशि जमा नही।	राशि पी0एल0 एकाण्उट में जमा कर दिया गया है।	
21	21	दुकान निर्माण/ किराया में राजस्व की क्षति (55.58 लाख)	इस विषय को सशक्त स्थायी समिति एवं निगम बोर्ड की बैठक में रखकर ठोस कदम उठाया जायेगा।	
22	22	लम्बित निलामवाद की स्थिति	इस संबंध में वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।	
23	23	श्रमिक शेष की कम कटौति/ नही कटौति (05.40) लाख	श्रमिक शेष की राशि कटौति कर सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को भेजा जा चुका है। जिन योजनाओं में 01 प्रतिशत लेबरशेष की कटौति नही कि गई थी। संवेदक के सुरक्षित जमा राशि से कटौति कर ली गई है।	

24	24	विलम्ब शुल्क की कटौति नही (10.40 लाख)	जिन योजनाओं में विलम्ब शुल्क की कटौति नही की गई है, संवेदक के सुरक्षित जाम राशि से कटौति कर ली गई है।	
25	25	अनियमित रूप से सुरक्षित जमा राशि की वापसी (0.46 लाख)	वर्णित योजना में पांच वर्ष तक रख-रखाव हेतु कोई भी राशि प्राक्कलन में प्रावधान नहीं किया गया था। लिपकीय भुल के कारण पी0डब्लु0डी0 कोड के शर्त के अनुसार एकरारनामा कर दिया गया था। संवेदक के द्वारा पी0डब्लु0डी0 कोड के शर्ते के अनुसार सुरक्षित जमा की मांग की जाने लगी एवं न्यायालय जाने हेतु बात कही गई तदनुसार कार्यपालक अभियंता के द्वारा सुरक्षित राशि वापस हेतु सहमति प्रदान की गई।	
26	26	दीर्धकाल से निर्णयों का अवरोधन (190.94 लाख)	इस संबंध में निगम बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक में आवश्यक कार्रवाई हेतु रखा जायेगा।	
27	27	13वीं मद की अनुदान राशि का विचलन (12.76 लाख)	वर्णित राशि को निगम स्त्रोत से समायोजन की कार्रवाई कर ली गई है।	
28	28	वेतन एवं भत्ते के रूप में अतिरिक्त दायित्व (28.31 लाख)	नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता के वेतन की मांग हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना से पत्राचार किया जा रहा है।	
29	29	संदिग्ध गुणवता प्रमाण पत्र	गुणवता प्रमाण के संन्दिगधता के संबंध में स्पष्ट करना है कि तीन योजनाओं में कार्य प्रारम्भ होने के पुर्व के तिथि में गुणवता प्रमाण पत्र लिपकीय भुल के कारण जमा लिया गया। भविष्य में ऐसी भुल की पुनारवृति न हो इसके लिये संबंधित कर्मी को बड़ी हिदायत दी गई है। जहां तक योजना के पुर्ण होने की तिथि के	

			बाद के तिथि में गुणवता प्रमाण पत्र लेने की बात है तो यह गुणवता प्रमाण पत्र को वैध माना जा सकता है क्योंकि योजना के पुर्ण होने के बाद गुणवता जांच किया जा सकता है। विभागीय जांच में यह स्पष्ट हुआ।	
30	30	मानक गुणवता के अनुरूप कार्य नहीं (5.07 लाख)	वर्णित योजना में पथ एवं नाली कार्य कराया जाना था जिसमें नाली में 33.09 M^3 पी0सी0सी0 करना था जिसमें 18.95 M^3 पी0सी0सी0 किया गया है तथा पथ में 62.58 M^3 पी0सी0सी0 किया गया है जबकि पथ में 126.55 M^3 पी0सी0सी0 किया जाना था जो निर्धारित मात्रा से कम है।	
31	31	टैम्पु टीपर की खरीददारी में वित्तीय नियमों की अवहेलना	टेम्पु टीपर क्रय हेतु पुर्व में भी दि0 26.08.10 को निविदा प्रकाशित की गई जिसमें ये एकल प्राप्त हुई। पुनः दिनांक 03.02.11 में टेम्पु टीपर क्रय हेतु निविदा सूचना एवं न संपर्क विभाग प्रकाशन में भेजी गई थी जिसमें भी एकल निवदा प्राप्त हुई। जिसे निविदा समिति के द्वारा वित्तीय बिड खोलने हेतू जिला क्रय समिति को अनुशांसित किया गया जिसे क्रय समिति द्वारा दर निर्धारित कर क्रय की सहमति प्रदान की गई जिसे सशक्त स्थायी समिति की बैठक 24.02.11 में स्वीकृति प्रदान की गई। एकल निविदा भी स्वीकृति एक स्तर उपर से प्रापत की गई। निगम द्वारा निविदा के प्रकाशन हेतु दिनांक 03. 02.11 को पत्रांक 28 गो0 के माध्यम से पत्र सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पटना को भेजा गया जिसमे	

			निविदा की तिथि 15.02.11 निर्धारित की गई। इस प्रकार पत्र भेजे जोन से निविदा होने तक कुल दो सप्ताह की अवधि बोली समर्पित करने हेतु दी गई थी परन्तु जिला सूचना संपर्क विभाग द्वारा इसका प्रकाशन दि0 11.02.11 को किया गया । इसमें निगम द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। स्टॉक रजिस्टर में पंजीकरण करने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाती है जिसका अनुपालन किया गया है। वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये इस पारा को अंकेक्षण आपत्ति से मुक्त करने की कृपा की जाय।	
32	32	जनगणना मद की अवितरित राशि (1.09 लाख)	इस संबंध में रोकड़पाल को आवश्यक निर्देश दिया गया है।	
33	33	योजनाओं की स्थिति	लम्बित योजनओं को पूर्ण करा लिया गया है।	
34	34	अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया जाना	अग्रिम पंजी का संधारण कर लिया गया है एवं दिये गये अग्रिम का समयोजन एवं उनके सेवान्त लाभ की राशि से कटौति की गई है एवं शेष अग्रिम राशि के समायोजन हेतु नोटिस निर्गत किया गया है।	
35	35	दैनिक मजदुरों का भुगतान (72.43 लाख)	नगर निगम में वर्ष 1970 में सफाई मजदूरों का स्वीकृत बल 786 है जिसमें लगभग वर्तमान में 250 सफाई मजदूर ही कार्यरत है जबकि जनसंख्या 5 गुणा हो चुका है तथा भवनों की संख्या भी दस गुणी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों से शहर का बड़े नालों की सफाई कराया जाना संभव नही है। शहर का दैनिक सफाई, पितृपक्ष	

			मेला एवं पर्व त्योहारों के अवसर पर विशेष सफाई कार्य के लिये दैनिक मजदूरों को रखकर सफाई कार्य कराया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो पूरे शहर मे जल जमाव रोड में गंदगी का अम्बार हो जायेगा। अत: जनहित में नागरिकों को सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये दैनिक मजदूरों को रखा गया है जो अतिआवश्यक है। सरकार द्वारा नई नियुक्ति पर रोक लगाये जाने के कारण निगम बोर्ड के स्वीकृति के उपरान्त ही दैनिक मजदूर को रखा गया है। अत: उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुये अंकेक्षपण आपत्ति को निरस्त करने की कृपा की जाय।	
36	36	जल पर्षद गया द्वारा संबंधित अभिलेख/ संचिका अंकेक्षण में अप्रस्तुत	जल पर्षद के सचिव की अचानक तबियत खराब हो जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान संचिका एवं अन्य कागजात की जांच नहीं कराई जा सकी। अगले अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण करा लिया जायेगा।	
37	37	नगर आयुक्त से वार्तालाप	Noted	
38	38	लेखा परीक्षा का परिणाम	Noted	
39	39	सामान्य अभियुक्ति	Noted	क्र0 01 से 39 तक के अंकेक्षण आपत्ति को निरस्त करने का कृपा की जाय।

9.8.14

लेखा पदाधिकारी
गया नगर निगम, गया।

नगर आयुक्त,
गया नगर निगम, गया।